



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1234]

नई दिल्ली, शुक्रवार मार्च 15, 2019/फाल्गुन 24, 1940

No. 1234]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2019/PHALGUNA 24, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2019

**का.आ.-1382(अ.)**—केंद्रीय सरकार ने, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कार्यालय आदेश सं. प्रतिस्पर्धा-05-9-2018-प्रतिस्पर्धा-एमसीए तारीख 11 दिसंबर, 2018 द्वारा सुश्री संगीता वर्मा को, पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य नियुक्त किया था।

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 द्वारा विनियमित होंगे।

[फा.सं. 05/9/2018-प्रतिस्पर्धा-एमसीए]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2019

**S.O. 1382(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, *vide* office order No. Comp-05/9/2018-Comp-MCA dated the 11<sup>th</sup> December, 2018, appointed Ms. Sangeeta Verma as Member

of the Competition Commission of India, with effect from the 24<sup>th</sup> December, 2018 (Afternoon) for a period of five years or till 65 years of age, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The terms and conditions of her service shall be governed by the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003.

[F. No. 05/9/2018-Comp-MCA]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.